[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 54/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 20 जुलाई, 2018

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 50/2017, दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 785 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और भी संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में, तालिका में, क्र0.सं0.330 और इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा ।

(फा.सं.-354/123/2017-टीआरयू (पार्ट))

(गुंजन कुमार वर्मा)

अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : प्रधान अधिसूचना संख्या 50/2017-सीमा शुल्क, दिनांक 30 जून, 2017, सा.का.नि. संख्या 785(अ), दिनांक 30 जून, 2017 को प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 52/2018 सीमा शुल्क, दिनांक 14 जुलाई, 2018 को सा.का.नि. संख्या 648(अ) द्वारा संशोधन किया गया था ।